फहीम की मां व मौसी की हत्या में शाहिद को उम्रकैद

खबरें अदालत की

विधि प्रतिनिधि ▷ धनबाद

फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए जेल में बंद शाहिद आलम को भादवि की धारा 148 में दो वर्ष जबकि भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा भी अदालत में मौजूद थे.

18 अक्तूबर 2001 को की गयी थी हत्या : आरोप के अनुसार 18 अक्तूबर 2001 को साबिर आलम, बाबू आलम, वाहिद आलम, असगर, मिनहाज, अशफाक, लाडले एवं तीन अन्य लोग अपने हाथों में पिस्तौल लेकर एक साथ 2. 15 बजे दिन में डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के पास गये और सूचक शेर खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून को घेर लिया तथा गोली मार दी. घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गयी. इससे बाद सभी मारुति से भाग गये. घटनास्थल पर एक देसी पिस्तौल तथा फायर की हुई दो गोली पुलिस ने बरामद की. घटना के बाद शेर खान ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. इस मामले में साबिर आलम को वर्ष 2007 में अदालत ने सजा सुनायी थी. केस के आइओ गोपीनाथ तिवारी ने पांच जनवरी 02 को चार्जशीट दायर किया. अदालत ने 20 मार्च 07 को शाहिद आलम के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन ने शेर खान, मो सोनू खान, गुलाम मोहम्मद, इनदाद अहमद उर्फ गुड्डू, डॉ सीएस प्रसाद, आइओ गोपीनाथ तिवारी व एसएन तिवारी का मुख्य परीक्षण कराया.

शाहिद आलम को जेल ले जाती पुलिस. फोटो । प्रभात खबर

दुष्कर्म के प्रयास में दोषी करार

धनबाद. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेंद्र प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के प्रयास के एक मामले में फैसला सुनाते हुए लाल बंगला (गोविंदपुर) निवासी छोटू तुरी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 26 मार्च मुकर्रर कर दी. 12 मई 08 को सात बते सुबह जब पीड़िता घर से बाहर गयी थी, तभी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म कारने का प्रयास किया था.

दुष्कर्म के प्रयास में सजा आज : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को पोस्को के विशेष न्यायाधीश पीयूष कुमार की अदालत ने शास्त्री नगर (जोड़ापोखर) निवासी विनोद यादव को पोक्सो एक्ट की धार आठ में दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 24 मार्च (शनिवार) को सुनायेगी. 26 अप्रैल 14 को पड़ोसी ने बगल की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से साथ छेड़खानी कर जबरदस्ती इज्जत लूटने का प्रयास किया. जब वह शोर मचायी तब वह भाग गया. आइओ ने 31 मई 14 को चार्जशीट दायर किया.

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
क्लस्टर मोनिटोरिंग कार्यालय (क्लासिक),
द्वितीय तल, चांदपुरा पैलेस, पश्चिमी गाँधी मैदान, बैंक रोड,
ओ.बी.सी. पटना–800001, दूरभाष– 0612–2219437, 2219122, 2219100
Email- cmoclassic_ptn@obc.co.in

सार्वजनिक सूचना दिनांक–21.03.2018

सूचित किया जाता है कि हमारे बैंक की वेबसाईट www.obcindia.co.in पर सूचीबद्ध सूची के अनुसार कई लॉकर धारियों ने लॉकर के समझौते के नियम और शर्तों को पूरा नहीं किया है और उनके लॉकर का किराया बाकी है। परिस्थितियों के अंतर्गत हम लॉकर को तोड़ने के लिए विवश हैं, इसलिए इस नोटिस को सार्वजनिक रूप से दिया जाता है कि इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कार्यावधि के दौरान बैंक शाखा से सम्पर्क करेंगे, असफल रहने पर बैंक, लॉकर को 31.03.2018 को या उसके बाद तोड़ने के लिए बाध्य रहेगा और लॉकर की सामाग्री को बिना किसी सूचना के सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाएगा और इसके लिए किए गए खर्च, किराए और अन्य लागत का बकाया नीलामी की आय से वसूल किया जाएगा।

क्र.सं.	शाखा कोड	शाखा का नाम	ग्राहक का नाम	लॉकर संख्या
1.	0611	धनबाद	श्री सोमिल सिन्हा	AA63
2.	0611	धनबाद	श्रीमति करिता परमार	AA46
3.	0609	बिस्टुपुर, जमशेदपुर	श्रीमति इन्द्राणी खन्ना	MM88
4.	0609	बिस्टुपुर, जमशेदपुर	श्री ओम नारायण सिंह	AA113

क्लस्टर मोनिटरिंग हेड (क्लासिक), पटना
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओएनजीसी ONGC
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: एल 74899 डीएल 1993 जीओआई 054155 पंजी. का.: दीनदयाल ऊर्जा भवन 5, नेल्सन मंडेला मार्ग, बसंत कुंज, नई दिल्ली- 110070
वेबसाइट: www.ongcindia.com

ओएनजीसी की निविदा के संबंध में अधिसूचना

अब से ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)/ निविदा आवश्यकता समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जाएगी। सभी संबंधितों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ओएनजीसी की निविदा पूछताछ ओएनजीसी की निविदा वेबसाइट **https://tenders.ongc.co.in** एवं ई–निविदा वेबसाइट **https://etender.ongc.co.in** (ई–बोली के लिए) और भारत सरकार केन्द्रीय लोक खरीद पोर्टल **(https://eprocure.gov.in)** पर प्रकाशित की जाएगी।

सभी ईच्छुक बोली दाताओं को ओएनजीसी की निविदाओं के लिए नियमित रूप से उपर्युक्त वेबसाइट देखने का अनुरोध किया जाता है।

सी.एस.आई.आर–केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (CSIR-CIMFR)
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली / Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi)
बरवा रोड, धनबाद, झारखण्ड./ Barwa Road, Dhanbad, Jharkhand- 826015

संख्या/ No.: CIMFR/PA/GAP/108,SSP/250/SKC(BC)R&A-II दिनांक/Dated : 23/03/2018

संक्षिप्त विज्ञापन

सी.एस.आई.आर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के बरवा रोड परिसर, सिंफर, धनबाद में समयबद्ध परियोजना के अंतर्गत दिनांक 03/04/2018 को परियोजना सहायक स्तर- I, परियोजना सहायक स्तर- III के लिए पूर्णतः अस्थायी एवं संविदात्मक रूप में आबन्ध हेतु प्रवेश साक्षात्कार/वाक-इन इंटरव्यू का आयोजन पूर्वाह्न 10.30 बजे से किया जा रहा है.

प्रवेश साक्षात्कार/वाक इन इंटरव्यू (Walk-In-Interview) का स्थानः **बरवा रोड परिसर, धनबाद/ Barwa Road Campus, Dhanbad**

आवेदन प्रपत्र, साक्षात्कार की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, मानदेय सहित अन्य विस्तृत विवरण संस्थान के कुंज (वेबसाईट) www.cimfr.nic.in पर उपलब्ध है. New Registration के लिए link http://www.pmeac.org/Online%20Registration/index.php पर क्लिक करें.

ह0/- **प्रशासनिक अधिकारी/Administrative Officer**
सीएसआईआर-सिंफर

नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपितों की हुई पेशी

धनबाद. पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत में झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह को छोड़ शेष आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गयी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवीशरण सिन्हा ने पैरवी की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 27 मार्च मुकर्रर कर दी. विदित हो कि 21 मार्च 17 को अपराधियों ने सरायढेला स्टील गेट के समीप नीरज सिंह की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर नीरज सिंह समेत चार लोगों को मौत के घाट उतार दिये थे.

प्रमोद सिंह हत्याकांड में रामधीर की नहीं हो सकी गवाही

धनबाद. कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी एमपी खरवार, हीरा खान, अरशद व अयूब हाजिर थे. तकनीकी गड़बड़ी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जय प्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में विनोद सिंह हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह की गवाही नहीं हो सकी. अदालत ने सीबीआइ को गवाह लाने का अंतिम मौका दिया. अब इस मामले में सुनवाई 19 अप्रैल को होगी. विदित हो कि तीन अक्तूबर 03 को अपराधियों ने प्रमोद सिंह की हत्या उनके धनसार स्थित बीएम अग्रवाल कॉलोनी में गोली मार का कर दी थी.

कार्मिक प्रबंधक पर हरिजन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

धनबाद. न्यू कॉलोनी पुटकी निवासी शंभु पासवान ने गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम पीयूष कुमार की अदालत में एडीआइ धनबाद कोलियरी के कार्मिक प्रबंधक राजीव कुमार मिश्रा के खिलाफ हरिजन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत वाद संख्या 847/18 दर्ज कराया. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 25 अप्रैल 18 निर्धारित कर दी. शंभु पासवान (शिकायतकर्ता) ने आरोप लगाया है कि 5 मार्च एवं 6 मार्च 18 को सुबह 11 बजे जब वह सिष्टा कर्मचारियों की सदस्यता शुक्ल की कटौती के संबंध में बातचीत करने कार्मिक प्रबंधक के कक्ष में गये, तब उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए कुर्सी से धक्का देते हुए बाहर निकाल दिया.

दहेज प्रताड़ना में पति को डेढ़ वर्ष की सजा

धनबाद. एक लाख रुपये दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने के एक मामले में एसडीजेएम एके गुड़िया की अदालत ने छाताटांड़ केंदुआ बाजार निवासी मनीष कुमार वर्णवाल को भादवि की धारा 498(ए) में डेढ़ वर्ष कैद व दो हजार रुपये जुर्माना जबकि डीपी एक्ट की धारा 3/4 में दोषी पाकर छह माह कैद व पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को सेशन कोर्ट में अपील अर्जी दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. विदित हो कि डुमरा मोड़ बाघमारा की रहनेवाली राखी देवी की शादी 1.07.07 को मनीष के साथ हुई थी. शादी के तीन चार माह बाद ही वह और उनके परिजन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे.

एनडीपीएस में सोहन दोषी करार, सजा 26 को

धनबाद. अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चौदह रवींद्र कुमार की अदालत ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के मामले में फैजाबाद जिले के मदारीपुर निवासी सोहन लाल राउत को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 (बी) में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा के बिंदु पर फैसला 26 मार्च को सुनायेगी. अपर लोग अभियोजक अनिल कुमार सिंह द्वितीय भी अदालत में मौजूद थे. विदित हो कि आठ फरवरी 17 को रेलवे पुलिस को गुप्ता सूचना मिली कि हावड़ा से आने वाली शिप्रा एक्सप्रेस की जेनरल बोगी में अवैध सामान कोई व्यक्ति ले जा रहा है. पुलिस ने टीम गठित कर प्लेट फॉर्म नंबर तीन पर जब शिप्रा एक्सप्रेस अपनी तब बोगी जांच में सोहन पकड़ा गया उसके पास से 12 किलो गाजा बरामद किया.

लोको पायलट को ऑनलाइन टीवी खरीदना पड़ा महंगा

- न टीवी मिली और न ही राशि लौटा रही कंपनी

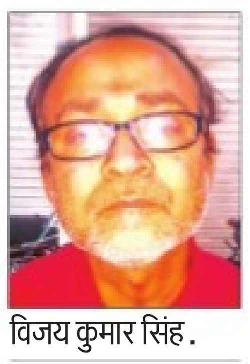

विजय कुमार सिंह.

धनबाद. धनबाद रेल मंडल के लोको पायलट हील कॉलोनी निवासी विजय कुमार सिंह को ऑनलाइन टीवी खरीदना महंगा पड़ा. अब उनके पास न तो टीवी रही और न ही उसकी राशि ही कंपनी लौटा रही है. श्री सिंह फोन पर शिकायत करते करते परेशान हो गये हैं. वह जल्द ही इस मामले को लेकर कंजूमर कोर्ट जाने वाले हैं.

टीवी का पिक्चर ट्यूब था खराब : श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने फ्लीपकार्ट से 40 इंच का टीवी 18999 रुपया में ऑनलाइन खरीदी थी. दो फरवरी को यह ऑनलाइन खरीदारी की और आठ फरवरी को टीवी घर पर पहुंच गया. टीवी इंस्टाल करने पहुंचे कंपनी के कर्मी ने बताया कि टीवी का पिक्चर ट्यूब खराब है. उन्होंने फ्लीपकार्ट के कॉल सेंटर में फोन कर जानकारी दी. 10 मार्च को कंपनी का स्टाफ आकर टीवी ले गया, लेकिन उसके बाद न तो उन्हें टीवी वापस मिला और न ही कंपनी राशि ही वापस कर रही है.

दूसरे दिन भी नहीं मिला नगर निगम के ट्रैक्टर को ईंधन

धनबाद. बकाया पैसा को लेकर दूसरे दिन शुक्रवार को भी पेट्रोल पंप से निगम के ट्रैक्टर को ईंधन नहीं मिला. शुक्रवार को भी शहर के चौक चौराहा, मार्केट कॉम्प्लेक्स व मुहल्लों से कचरा नहीं उठा. जैसे-तैसे महापर्व छठ बीत गया. रविवार को रामनवमी है. यही स्थिति रही तो गंदगी के बीच शहर में रामनवमी मनाया जायेगा. इधर, पार्षद निर्मल मुखर्जी ने कहा कि आखिर पेट्रोल पंप को पेमेंट क्यों नहीं किया गया. 75 लाख रुपया बकाया कैसे हो गया. इससे स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर व ट्रिपर के अलावा आला अधिकारियों के वाहनों में भी बड़ी मात्रा में ईंधन लिया जा रहा है. जांच का विषय है.